



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2000/भाद्र 22, 1922

No. 474]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2000/BHADRA 22, 1922

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2000

New Delhi, the 13th September, 2000

सा.का.नि. 719(अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 597(अ), तारीख 20 अगस्त, 1999 को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है।

G.S.R. 719(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government hereby rescinds the notification of the Ministry of Information and Broadcasting bearing G.S.R. 597(E) dated 20th August, 1999 with immediate effect.

[फा. सं. 9/1/2000-पी.बी.सी.]

[F. No. 9/1/2000-PBC]

आर. सी. मिश्रा, संयुक्त सचिव

R.C. MISHRA, Jt. Secy.